

मानति वन स्थिति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य से "वन भूमि के रूप में ओरान, दी-वान, रूंध और अन्य उपवनों की पहचान वन सर्वेक्षण के लिये उठाए जा रहे कदमों" को उजागर करने के लिये कहा। इसके प्रत्युत्तर में राजस्थान सरकार ने अंततः अपने पवतिर उपवनों, जिन्हें ओरांस के नाम से जाना जाता है, को "**मानति वन**" के रूप में अधिसूचित किया।

मुख्य बद्दि:

- राजस्थान के सामुदायिक वनों में ओरान सामुदायिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कभी-कभी सदियों पुराने होते हैं, जिन्हें पारंपरिक रूप से पवतिर माना जाता है, ग्रामीण समुदायों द्वारा संरक्षित एवं प्रबंधित किया जाता है, स्थानीय कानूनों व नयिमें के साथ उनके उपयोग को नियंत्रित किया जाता है।
 - पशुचारक अपने पशुओं को चराने के लिये ओरान में ले जाते हैं।
 - ये समुदायों के सामाजिक कार्यक्रमों और त्योहारों के लिये एकत्रित होने के स्थान के रूप में भी काम करते हैं।
 - ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त **ग्रेट इंडियन बसटर्ड (GIB)** के लिये प्राकृतिक आवास भी हैं।
- वन संरक्षण अधिनियम (FCA), 1980** में कुछ प्रतबंधात्मक प्रावधान थे, जिसमें वन की स्थिति को गैर-वन भूमि में बदलने के लिये केंद्र की मंजूरी की आवश्यकता थी। लेकिन संशोधित FCA में मानति, अवरगीकृत और नज्जी वनों की मंजूरी राज्य सरकार स्वयं कर सकती है।
- सर्वोच्च न्यायालय के एक मामले में जहाँ इन संशोधनों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है, न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में कहा कि **गोदावर्मन मामले, 1996** के अनुसार वनों को संरक्षित किया जाना चाहिये।

ओरान (Orans)

- ये समुदाय-संरक्षित हरित स्थान हैं जिनमें **खेजड़ी (Prosopis cineraria)** और **रोहडा (Tecomella undulata)** जैसे स्थानीय पेड़ शामिल हैं तथा आमतौर पर स्थानीय देवताओं को समर्पित हैं।
- ये वनाश के कगार पर थे क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में इन्हें सरकारी भूमि की कृषि योग्य बंजर भूमि के रूप में चिह्नित किया गया था जिससे खेती के तहत लाया जा सकता था। इससे ओरान को गैर-वन गतिविधियों के लिये आवंटित करना आसान हो गया।